

नाप-तौल उपकरणों के निर्माता के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त  
करने के संबंध में आवेदन  
(विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत)

चरण-1	<p><u>आवेदन कब करें ?</u></p> <p>नाप-तौल उपकरणों के निर्माता के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त करना हो।</p>						
चरण-2	<p><u>आवेदन कौन कर सकता है ?</u></p> <p>विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 2 में परिभाषित निर्माता की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति विवरण निम्नानुसार है –</p> <p><i>"manufacturer" in relation to any weight or measure, means a person who -</i></p> <p>(i) <i>manufactures weight or measure,</i></p> <p>(ii) <i>manufactures one or more parts, and acquires other parts, of such weight or measure and, after assembling those parts, claims the end product to be a weight or measure manufactured by himself or itself, as the case may be,</i></p> <p>(iii) <i>does not manufacture any part of such weight or measure but assembles parts thereof manufactured by others and claims the end product to be a weight or measure manufactured by himself or itself, as the case may be,</i></p> <p>(iv) <i>puts, or causes to be put, his own mark on any complete weight or measure made or manufactured by any other person and claims such product to be a weight or measure made or manufactured by himself or itself, as the case may be.</i></p>						
चरण-3	<p><u>आवेदन प्रपत्र</u></p> <p>मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 की अनुसूची- एक ( <b>Schedule-I</b> ) में प्रपत्र निर्धारित है</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">आवेदन का उद्देश्य</td> <td style="text-align: center;">हिन्दी में प्रपत्र</td> <td style="text-align: center;">अंग्रेजी में प्रपत्र</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">नवीन निर्माता अनुज्ञप्ति हेतु</td> <td style="text-align: center;">प्रारूप ठ ड- 1</td> <td style="text-align: center;"><b>LM - 1</b></td> </tr> </table>	आवेदन का उद्देश्य	हिन्दी में प्रपत्र	अंग्रेजी में प्रपत्र	नवीन निर्माता अनुज्ञप्ति हेतु	प्रारूप ठ ड- 1	<b>LM - 1</b>
आवेदन का उद्देश्य	हिन्दी में प्रपत्र	अंग्रेजी में प्रपत्र					
नवीन निर्माता अनुज्ञप्ति हेतु	प्रारूप ठ ड- 1	<b>LM - 1</b>					

चरण-4	<p><u>आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज (स्कैन कर अपलोड करें)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. परिसर का क्षेत्रफल वर्ग मीटर दर्शाते हुए परिसर विवरण के संबंध में घोषणा पत्र एवं कार्य निष्पादन के संबंध में सहमति पत्र । { परिशिष्ट -1 अनुसार }</li> <li>2. प्रतिदिन उपकरण निर्माण किये जाने की क्षमता का विवरण ।</li> <li>3. निर्मित उपकरणों के विभिन्न परीक्षणों के लिये क्या-क्या सुविधाएं हैं { विस्तार में }</li> <li>4. निर्माण कार्य हेतु आवश्यक उपकरण एवं औजारों की सूची ।</li> <li>5. यदि भारत सरकार से मॉडल एप्रूवल प्राप्त किया हुआ है तो उसकी प्रतिलिपि ।</li> </ol>
चरण-5	<p><u>आवेदन के साथ शुल्क ?</u></p> <p>आवेदन के साथ मध्य प्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 की अनुसूची-चार में निर्धारित शुल्क - जो कि वर्तमान में रूपये 2500/- है।</p>
चरण-6	<p><u>शुल्क कैसे जमा करें ?</u></p> <p>1- ऑन लाईन आवेदन करते समय उपलब्ध Link से</p>
चरण-7	<p><u>आवेदन कैसे करें ?</u></p> <p>ऑन लाईन आवेदन हेतु लिंक -----</p> <p>STEP -1: <a href="http://mpedistrict.gov.in/Public/citizen_login.aspx?param=a627LjNIQsU=">http://mpedistrict.gov.in/Public/citizen_login.aspx?param=a627LjNIQsU=</a></p> <p><b>Click on the link.</b></p>
चरण-8	<p><u>अनुमोदन की समय-सीमा ?</u></p> <p>ऑन लाईन आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● नवीन निर्माता अनुज्ञप्ति - 45 कार्य दिवस के अंदर</li> </ul>
चरण-9	<p><u>नवीन निर्माता अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति आवेदक कैसे प्राप्त करेगा ?</u></p> <p>STEP-1 : <a href="http://www.mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx">http://www.mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx</a> link पर Click करें</p> <p>STEP-2 : इसके पश्चात <u>पंजियन आवेदन खोजें</u> पर click करे.</p>
चरण-10	<p><u>अपीलीय अधिकारी:-</u></p> <p><b>नियंत्रक नाप-तौल मध्यप्रदेश भोपाल</b></p> <p>अपील कब करें – आवेदक का आवेदन बगैर किसी कारण से निरस्त करने या समय सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं करने पर आवेदक अपील करेगा ।</p>

परिशिष्ट-1

निर्माता अनुज्ञप्ति आवेदन के साथ घोषणा-सह-सहमती पत्र

मैं/हम..... मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम 2011 के अन्तर्गत बने नियमों के तहत नाप तौल उपकरणों हेतु नवीन निर्माता अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदक हूँ।

इन समस्त उपकरणों का निर्माण व संग्रह प्रस्तुत आवेदन पत्र में अंकित स्थान, जिनका विवरण निम्नानुसार है मैं करूंगा/करेंगे।

1. स्थान का नाम व पता जहां बांट, माप एवं माप तौल यंत्र उपकरण का निर्माण व संग्रह किया जावेगा .....
2. इस स्थान का उपयोग योग्य क्षेत्रफल वर्गमीटर में .....
3. प्रतिदिन उपकरण निर्माण किये जाने की क्षमता .....
4. स्थान स्वामी का नाम एवं पूर्ण पता .....

मेरा / हमारा खाता क्रमांक ..... IFSC कोड ..... बैंक का नाम ..... शाखा नाम ..... मोबाईल नंबर ..... है।

मैं / हम ने मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम 2011 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति की शर्त तथा नियमों की जानकारी प्राप्त कर ली है, जो कि मुझे मान्य है। मैं/हम यह घोषणा करता हूँ / करते हैं कि :-

1. मैं / हम स्वयं निर्माण संबंधी प्रक्रिया की जानकारी अद्यतन एवं संधारण करूंगा/करेंगे।
2. मैं / हम प्रत्येक माह की 5 तारीख तक जानकारी प्रतिवेदन निरीक्षक विधिक मापविज्ञान (नाप-तौल) को प्रस्तुत करूंगा/करेंगे।
3. मैं / हम पंजी निर्धारित प्रारूप में रखूंगा तथा स्वयं ही निर्माण / विक्रय की नियमित पूर्ण पूर्ति करूंगा / करेंगे।
4. मैं / हम अनुज्ञप्ति संस्थान पर सहगोचर रथान पर प्रदर्शित करूंगा / करेंगे।
5. मैं / हम नाप-तौल उपकरणों के विक्रय हेतु कैश मेमो बुक पृथक से छपी रखूंगा एवं कैश मेमो में पूर्ण विवरण दूंगा / दूँगे।
6. मैं / हम समय-समय पर दिये गये आदेशों का पालन करूंगा / करेंगे।
7. मैं / हम समस्त अभिलेख नियंत्रक / उप नियंत्रक / सहायक नियंत्रक / निरीक्षक विधिक मापविज्ञान (नाप-तौल) द्वारा चाहे जाने पर प्रस्तुत करूंगा/करेंगे।
8. मैं / हम यह भी घोषणा करता हूँ / करते हैं कि निर्माण कार्य व उपकरणों का संग्रह उपर दर्शाए गए स्थान के अतिरिक्त अन्य कोई स्थान पर नहीं करूंगा / करेंगे।
9. मैं / हम यह भी घोषणा करता हूँ / करते हैं कि स्थानीय निरीक्षक द्वारा नियमानुसार जांच व उपकरणों के सत्यापन की प्रक्रिया का पालन करूंगा / करेंगे।
10. मैं / हम यह भी घोषणा करता हूँ / करते हैं कि मेरे / हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई अपराध/आर्थिक अपराध का प्रकरण कही भी पंजीबद्ध नहीं है।

मैं / हम प्रमाणित करता हूँ / करते हैं कि उपरोक्त विवरण सही है जहां पर मेरे / हमारे द्वारा बांट माप तौल उपकरण आदि रखे जावेंगे

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर आवेदक / आवेदक

**Annexure -1**  
**Self Declaration -Cum-Consent Letter**

I / We..... is/are an applicant to get new manufacturer license for weighing measuring instruments under Madhya Pradesh Legal Metrology Rules 2011.

The details of location where manufacturing and storage of these instruments/equipments will be done is as follows:-

- 1) Name and complete address of the premise (alongwith landmark) .....
- 2) Total area of the premise ..... In Sqm.
- 3) Total quantity of manufactured equipments / instruments (item wise) per day.....
- 4) Name and complete address of Land owner.....

My / our Bank Account No. .... IFSC code ..... Bank Name .....

Branch name ..... and Mobile No.is .....

I /We have read and agreed to the terms and conditions of Manufacturer license under Madhya Pradesh Legal Metrology Rule 2011.

I /We hereby declare that: -

- 1) I /We will maintain and update daily information related to various manufacturing activities.
- 2) I /We will present monthly statement in prescribed format (MP Legal metrology Rules, 2011) to concerned inspector (legal metrology) by 5th of every month.
- 3) I /We will maintain daily log register in prescribed format and will regularly update manufacture / sale data.
- 4) I /We will display manufacturer license at suitable location in my premise.
- 5) I /We will maintain and update Cash Memo Book on day to day basis separately for each manufactured item.
- 6) I /We will follow all departmental rules & orders as and when updated from time to time.
- 7) I /We will present all the requisite register/records to Controller/Deputy Controller / Assistant Controller / Inspector Weights & Measures as and when desired by the competent authority.
- 8) The manufacturing and storage activity does not take place at any other location / premise except mentioned above.
- 9) I / We will get verification and original stamping work done from concerned Legal Metrology Inspector as per rules and regulations.
- 10) There are no running legal cases against me / us for any financial fraud pending in any court.

I hereby declare that all the information furnished above are true to best of my knowledge and belief.

Date.....

Applicant Signature

Place.....

(नियम 9 (1) देखिये)  
प्ररूप ढ ड -1

मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 के अधीन बांटों तथा मापों के विनिर्माता के रूप में अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन

प्रति,

.....  
.....  
.....

क्रमांक	आवेदक द्वारा भरा जाए	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
1.	उस विनिर्माता समुत्थान का नाम जिसके लिए अनुज्ञप्ति चाही गई है.	
2.	समुत्थान का पूरा पता, क्या परिसर स्वयं का है/किराये का है /अभिलेखों की सहायता से सम्यक रूप से पट्टे पर लिया गया है.	
3.	कर्मशाला (वर्कशॉप)/कारखाने के स्थापन की तारीख.	
4.	स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और लिमिटेड कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक के नाम एवं पता (पते), उनके पिता/पति के नाम तथा पता (पते) सहित.	
5.	कारखाने/दुकान/स्थापना/नगरपालिका व्यवसाय अनुज्ञप्ति की तारीख तथा वर्तमान रजिस्ट्रीकरण क्रमांक.	
6.	वर्तमान विनिर्माण क्रियाकलापों की प्रकृति.	
7.	विनिर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित बांटो एवं मापों का प्रकार अर्थात् : (1) बांट (2) माप (3) तौल के उपकरण (4) माप के उपकरण, प्रत्येक मामले में व्यौरों सहित	
8.	नियोजित/नियोजन हेतु प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या : (एक) कुशल (दो) अर्द्धकुशल (तीन) अकुशल (चार) कार्यक्षेत्र (लाइन) में विशेष रूप से प्रशिक्षित	

9.	विनिर्मित किये जाने वाले बांटों और मापों पर ठप्पा लगाए जाने के लिए आशयित मोनोग्राम या व्यापार चिन्ह।	
10.	स्वयं की मशीनरी, औजार, उपसाधन आदि और जो बांटो, मापों आदि के विनिर्माण के लिए उपयोग में लाये जाते हैं, के ब्यौरे.	
11.	कारखाना (फाउन्ड्री) / कर्मशाला में व्यवस्थित सुविधाओं के ब्यौरे चाहे स्वामित्व में हों, दीर्घकालिक पट्टे आदि पर हो.	
12.	अत्यावश्यक भागों की इस्पात डलाई और कठोरता परीक्षण की सुविधायें या अन्य साधन।	
13.	विद्युत् ऊर्जा की उपलब्धता.	
14.	सरकार या वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्ति का ब्यौरा, यदि हां, तो ब्यौरा दीजिए.	
15.	बैंकर, यदि कोई हो, का नाम	
16.	वैट संख्यांक/केन्द्रीय विक्रय कर संख्यांक/ वृत्तिकर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक/ आयकर कमांक।	
17.	क्या आपने विनिर्माता अनुज्ञप्ति के लिए पहले आवेदन किया है ? यदि हां तो कब और क्या परिणाम हुआ ?	
18.	(क) विनिर्मित किये जाने वाली प्रस्तावित वस्तुएं क्या राज्य के भीतर या राज्य के बाहर विक्रय की जाएंगी ;  (ख) भारत सरकार से प्राप्त माडल अनुमोदन के ब्यौरे  (ग) आपके उत्पाद जिसके लिए अनुज्ञप्ति चाही गई है, नमूने (सैम्पल) निरीक्षण हेतु कब प्रस्तुत कर सकते हैं ?	

आवेदक/आवेदकों द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 तथा मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 को पढ़ लिया है और उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किये जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी पालन करने के लिये सहमत हूँ/हैं।

मैं/हम नियत अनुज्ञप्ति फीसा, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर, सरकार को शीघ्र जमा कराने के लिये सहमत हूँ/हैं।

ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है।

स्थान :	.....
तारीख :	हस्ताक्षर और नाम

**Schedule - 1**  
[See rule 9 (1)]  
**Form - L M - 1**

Application for licence as manufacturer of weights & measures under the  
Madhya Pradesh Legal Metrology Rules, 2011

To,

-----  
-----  
-----

No.	To be filled by the Applicant	Comments of the inspection officer
(1)	(2)	(3)
1.	Name of the manufacturing concern for which licence is desired.	
2.	Complete address of the concern. Whether premises are owned / rented / taken on lease duly supported by	

	documents.		
3.	Date of Establishment of workshop / factory.		
4.	Name (s) and address (s) along with their father's Name / husband's name and address (s) of proprietor (s) and / or Partners and Managing Director (s) in the case of Limited company		
5.	The date and current registration number of factory / shop/ establishment / Municipal Trade licence.		
6.	Nature of manufacturing activities at present.		
7.	The type of weights and measures proposed to be manufactured viz : S. Weights (ii) Measures (iii) Weighing Instruments (iv) Measuring Instruments, with details in each case.		

8.	The number of persons employed/proposed to be employed (i) (ii) Semi-skilled (iii) Unskilled (iv) Specialist trained in the line		
9.	The monogram or trade mark intended to be imprinted on weights and measures to be manufactured.		
10.	Details of machinery, tools accessories owned and used for manufacturing weights, measures etc.		
11.	Details of foundry / workshop facilities arranged. Whether ownership, long term lease etc.		
12.	Facilities of steel casting and hardness testing of vital		

	parts etc or other means.		
13.	Availability of electric energy.		
14.	Whether any loan received from Government or Financial Institution. If so, give details.		

15.	Name of bankers, if any.		
16.	VAT Number / CST Number / Professional Tax registration Number / IT Number		
17.	Have you applied previously for a manufacturer's licence? If so, when and with what results?		
18.	(a) Whether the item (s) proposed to be manufactured will be sold within the State or out side the State; (b) Details of Model Approval received from Government of India; When can you produce for inspection samples of your products for which licence is desired?		

**To be certified by the applicant (s)**

Certified that I / We have read the Legal Metrology Act, 2009 and the Madhya Pradesh Legal Metrology Rules, 2011 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued thereunder.

I / We agree to deposit the Scheduled licence fees with Government as soon as required to do so by the Licencing Authority.

All the information furnished above is true to the best of my/our knowledge.

Place :  
Date :

Signature and Name



# कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) म.प्र. भोपाल

सेवा क्रमांक:- 34.13

आवेदन द्वारा नवीन निर्माता अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये आवेदन पत्र पर नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) विभाग द्वारा परीक्षण एवं तदोपरांत की जाने वाली कार्यवाही का फ्लोचार्ट :-

